भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3007

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पोलावरम परियोजना चरण-I के लिए वित्त पोषण

3007. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोलावरम चरण-एक (41.15 मीटर तक भंडारण) के लिए मंत्रिमंडल द्वारा धनराशि की मंजूरी और परियोजना को पूरा करने के लिए हाल ही में बहु-किश्त अनुदानों की आगामी स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह परियोजना 2027 की समय-सीमा तक 41.15 मीटर भंडारण लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है और पूरा किए जाने के लिए शेष महत्वपूर्ण निर्माण माइलस्टोन क्या हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत अनुदान विशेष रूप से चरण-एक के कार्यों के लिए है या इसमें नहर नेटवर्क, पावरहाउस और बकाया पुनर्वास और पुनर्स्थापन देनदारियां भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जून, 2026 तक शेष अनुदान किश्तों को जारी करने के लिए आवश्यक अद्यतन परियोजना रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने सहित तकनीकी और वित्तीय पूर्व शर्तों के साथ आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भारत सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के चरण-I (ऊंचाई स्तर (ईएल) +41.15 मीटर तक भंडारण) के लिए वर्ष 2023 के मूल्य स्तर पर 30,436.95 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की है, जिसमें परियोजना के लिए शेष केंद्रीय अनुदानें 12,157.53 करोड़ रुपये तक सीमित है। तत्पश्चात, वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना के लिए 5,512.40 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2810.22 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई।

(ख): परियोजना 41.15 मीटर भंडारण के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है और गैप-I एवं गैप-II में मुख्य बांध का निर्माण, भूमि अधिग्रहण (एलए) और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को जून, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग): केंद्रीय अनुदान, ईएल +41.15 मीटर तक जल भंडारण हेतु चरण-I के कार्यों तक सीमित है। इसमें ईएल +45.72 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक की परियोजना के सभी सिविल कार्य, ईएल +41.15 मीटर तक भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर कार्य तथा बाईं और दाहिनी ओर की मुख्य नहरें शामिल हैं। परियोजना के विद्युत केंद्र घटक की लागत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार आवश्यकतानुसार समय पर आवश्यक तकनीकी दस्तावेज और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रही है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, निधि जारी करने से पहले, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी दस्तावेजों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की जांच करता है।
